उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0,
१७-गोखले मार्ग, लखनऊ ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ की धारा-४ (१)(ख) के अन्तर्गत सूचनाओं का संकलन ।

अध्याय-१ उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की विशिष्टयां उसके कार्य एवं दायित्व

निगम की स्थापना एवं उद्देश्य

इस निगम की स्थापना कम्पनी अधिनियम,१९५६ के अन्तर्गत २२ अक्टूबर, १९७४ को हुई है तथा यह राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी है । निगम की स्थापना के मुख्य एवं अनुषांगिक उद्देश्य निम्नवत् है :-

अ १- खाद्यान्न तिलहन एवं अन्य कृषि उत्पाद की अधिप्राप्ति, खरीद, भण्डारण एवं संचरण।

२- अत्यधिक उपभोग की जाने वाली जनता की आवश्यक वस्तुओं की प्रोक्योरमेन्ट खरीद, आयात, उत्पाद, भण्डारण, प्रोसेसिंग, आपूर्ति वितरण एवं संचरण।

३- चावल मिलों, आटा मिलों, तेल मिलों वनस्पति घी की मिलों एवं अन्य खाद्यान्न आधारित मिलों का लगाना एवं उक्त मिलों को लगाने में सहायता करना। जनहित में ऐसी किसी फैक्ट्री एवं मिल को लगाना जिसमें ब्रेड, बिस्कुट व अन्य वस्तुओं का उत्पाद होता है, डेरी प्रोजेक्ट या अन्य वस्तुएँ।

ब १- केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के अधिकृत उद्योग व्यापार एवं सेवाओं का संचालन/क्रियान्वयन।

२- शासन की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न वस्तुओं की प्रोक्योरमेनट, खरीद, बिक्री, वितरण, आपूर्ति भण्डारण एवं संचरण।

३- समय-समय पर शासन द्वारा सौंपी गयी विभिन्न योजनाओं का संचालन।

४- राज्य सरकार द्वारा जनहित में वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण के उद्देश्य से निगम के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं की खरीद, आयात, बिक्री आपूर्ति वितरण, भण्डारण तथा संचालन का कार्य कराया जाना इत्यादि।

शासकीय पूँजी विनियोजन

अंशपूँजी

स्थापना के समय इस निगम को रूपया एक करोड़ की अधिकृत अंशपूजी तथा रू0 ५0 लाख की प्रदत्त अंशपूँजी स्वीकृत की गयी थी। वर्तमान में निगम की अधिकृत अंशपूँजी बढ़कर रूपया पॉच करोड़ हो गयी है, जिसके विरूद्ध प्रदत्त अंशपूँजी भी रूपया पॉच करोड़ तथा अंशपूँजी के विरूद्ध आवेदन राशि रूपया ५0.३९ लाख है।

शासकीय ऋण

इस निगम को समय-समय पर विभिन्न/योजनाओं हेतु शासकीय ऋण के मद में कुल धनराशि रू0 २0१५.२२ लाख प्राप्त हुये, जिसमें से रू0 ४६८.१७ लाख शासन के पक्ष में निगम द्वारा नकद रूप से भुगतान किये गये तथा रू0 २00.00 लाख का ऋण निगम की अंशपूँजी में शासन द्वारा परिवर्तित किया गया, दिनांक ३0-९-२00८ को ऋण के विरूद्ध रूपया १३४७.0५ लाख निगम स्तर पर अवशेष रहे है।

उक्त अवशेष ऋण रू0 १३४७.0५ लाख में रू0 १२५९.५0 लाख मदिरा व्यवसाय हेतु स्वीकृत ऋण तथा रू0 ८७.५५ लाख ३५ सचल वाहनों की खरीद हेतु स्वीकृत ऋण धनराशि से सम्बन्धित है। सचल वाहनों से सम्बन्धित उक्त धनराशि खाद्य तथा रसद विभाग एवं उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम से अपेक्षित है ।

व्यापारिक कार्य-कलाप

वर्तमान में निगम द्वारा प्रदेश के १९ जनपदों लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर, सीतापरु, उन्नाव, रायबरेली, गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बरेली, शाहजहॉपुर, पीलीभीत, बदायूँ, मुरादाबाद, सम्भल, अमरोहा, बिजनौर एवं रामपुर में मुख्य रूप से ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0 अनत्योदय तथा मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत शहरी /ग्रामीण क्षेत्रों तक गेहॅ, चावल तथा चीनी की आपूर्ति का कार्य तथा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ एवं धान की खरीद का कार्य किया जा रहा है। निगम द्वारा ईट भट्टा निर्मातको के प्रयोगार्थ स्लैक कोल का व्यापार शासन की नीतियो के अन्तर्गत किया जाता रहा है।साथ ही लखनऊ, हाथरस एवं फैजाबाद जिले में कुकिंग गैस वितरण का कार्य भी किया जा रहा है।